कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 39 /11–सी–**FP/UP/Others/17403/2016**, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 14 /2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग,
गोण्डा।

विषय– जनपद–बलरामपुर में बलरामपुर–उतरौला (एस0एच0–26) मार्ग किमी0 24–23 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम–गोदीपुर के गाटा सं0–388 ख पर भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प की स्थापना पर रिटेल आउटलेट (आवागमन) हेतु क्षे. 0.08391 है0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोक की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, के कार्यालय का पत्रांक–4874/10–1, दिनांक 27.06.2016

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करने पर उसमें निम्नांकित कमियाँ/त्रुटियाँ पाई गई है जिनका निराकरण किया जाना अपरिहार्य है।

1– प्रस्तावित वनभूमि के 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु शीर्षक अंकित नहीं है।

2– प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

3– प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि के जियो रिफरेन्सड डिजिटल मैप के के.एम.एल शेप फाइल की सी.डी संलग्न नहीं है।

4– 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 08 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया जायें।

5– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु चयनित स्थल को नहीं अंकित किया गया है तथा भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नही है।

6– गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित व चिन्हित प्रति संलग्न नहीं है।

7– एन0पी0वी0 में बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।

8– भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार अनुमोदित ले आउट प्लान संलग्न नही है।

9– भारत सरकार के पत्रांक एफ0न0–11–268/2014–एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

10– पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

11– ऑन–लाइन प्रस्ताव के भाग–1(9) में Non forest land में Zero फीड है जो त्रुटिपूर्ण है।

12– ऑन–लाइन प्रस्ताव के भाग–1(1) कमांक (vi) में लीनियर अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। नॉन लीनियर अंकित करें।

13– पृष्ठ सं– 3 एवं 12 में परियोजना की लागत भिन्न–भिन्न अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है।

14– पृष्ठ सं– 28, 29, 52 एवं 53 को प्रस्ताव से पृथक करें।

15– ऑन–लाइन प्रस्ताव में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।

16– ऑन–लाइन प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का जियो रिफरेन्सड डिजिटल मैप एवं 1:50000 माप की चिन्हित एवं रंगीन एस.ओ.आई. टोपोशीट अपलोड नहीं है।

कृपया उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के निराकरण करते हुए संशोधित एवं पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि इस कार्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा सके। उक्त प्रस्ताव किसी भी कार्यालय दिवस में इस कार्यालय से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

14/7/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–39 / **FP/UP/Others/17403/2016** दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा।

2–टेरीटोरी मैनेजर (रिटेल) भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, देवरिया रोड, बेतालपुर जिला देवरिया।

14/7/16

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।